

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 41]

नई दिल्ली, अक्तूबर 2—अक्तूबर 8, 2016, शनिवार/ आश्विन 10—आश्विन 16, 1938

No. 41]

NEW DELHI, OCTOBER 2—OCTOBER 8, 2016, SATURDAY/ASVINA 10— ASVINA 16, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2016

का.आ. 2065.—माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), दिल्ली के पीठासीन अधिकारी श्री जी.वी.के. राजू, जिनके पास बीआईएफआर के सदस्य का अतिरिक्त प्रभार भी है, को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31.12.2016 तक अथवा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समापन तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बीआईएफआर के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 20(02)/2011- आईएफ-II (खंड-II)]

अतीश सिंह, निदेशक (आईएफ-Ⅱ)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 2069.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 अक्तूबर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध असम राज्य के बरपेटा जिले के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

राज्य	जिला		क्षेत्र	
असम	बरपेटा	1.	बरपेटा टाउन (नगरपालिका बोर्ड)	
		2.	बरपेटा रोड (नगरपालिका बोर्ड)	
		3.	हॉवली (टाउन किमटी)	
		4.	पाठशाला (टाउन कमिटी)	

[सं. एस-38013/39/2016-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 29th September, 2016

S.O. 2069.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st October, 2016 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas (including already implemented areas) in the State of Assam namely:—

State	District	Areas	
Assam	Barpeta	i. Barpeta Town (Municipal Board)	
		ii. Barpeta Road (Municipal Board)	
		iii. Howly (Town Committee)	
		iv. Pathsala (Town Committee)	

[No. S-38013/39/2016-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 2070.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स द यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 111/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.09.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30025/3/2016-आईआर (एम)]

समीर कुमार दास, अवर सचिव

New Delhi, the 29th September, 2016

S.O. 2070.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 111/2009) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. The Uranium Corporatin of India Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 27.09.2016.

[No. L-30025/3/2016-IR (M)]